प्रारुप–

परियोजना का नाम– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टकनागूंठ से डांडामल्ला (16.000 किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 661 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोडने का कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासन के पत्रांक संख्याः 1510/पी0 –1–19/यू0आर0आर0डी0ए0/10 दिनांक 05.10.2011 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनदेश की फोटोप्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट ककनई एवं डांडामल्ला अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नही जुडी है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सूविधा न होने से काश्तकारों को अपने उपज का उचित मूल्य नही मिल पाता हैं। साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नही हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा हैं। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जंहा युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगें, वही सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वनभूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि 3.940 हे0, सिविल सोयम भूमि 5.200 हे0, वनपंचायत भूमि 0.000 हे0 नाप भूमि 5.220 हे0 प्रभावित हो रही है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन स्वरूप भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

समरेखण नं0 1:–जो लाल रंग से दर्शाया गया है, यह समरेंखण सूखीढांग मोटर मार्ग के किमी0 26.000 से प्रारम्भ होता है। इस मार्ग के 0.000 कि0मी0 में आरक्षित भूमि प्रभावित हो रही है, डांडामल्ला गांव ककनई से नीचे खड्ड साईड में बसा है, जिस कारण 6 हेयर पिन बैण्ड दिये गये हैं, इस समरेखण में विभिन्न प्रजाति के कुल 167 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जो कम हैं। इस समरेखण में आरक्षित भूमि कम प्रभावित हो रही है, इस समरेखण से सभी ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न की गयी है। इस समरेखण से मार्ग का ग्रेड सही जा रहा है, इस समरेखण में लागत भी कम आ रही है।

समरेखण नं0 2:– जो नीले रंग से दर्शाया गया है, यह समरेखण सूखीढांग मोटर मार्ग के किमी0 24.000 से प्रारम्भ होता है। इस मार्ग के 0.000 कि0मी0 में आरक्षित भूमि प्रभावित हो रही है, डांडामल्ला गांव ककनई से नीचे खड्ड साईड में बसा है, जिस कारण 8 हेयर पिन बैण्ड दिये गये हैं, इस समरेखण में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का घना वन प्रभावित हो रहे है, जो अधिक हैं। इस समरेखण में मार्ग लगभग 10.000 कि0मी0 आरक्षित भूमि में ही जा रहा है, मोटर मार्ग डांडामल्ला तक नहीं पहुंच सकता है। इस समरेखण का ग्राम वासियों द्वारा विरोध किया गया है, इस समरेखण से मार्ग का ग्रेड सही नहीं जा रहा है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेंखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी , पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 16.000 किमी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार 7.00 मी0 चौडाई में आने वाली आरक्षित वनभूमि 3.940 हे0 एवं सिविल सोयम 5.200 हे0 कुल 9.140 हे0 भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत नया प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत	सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत	सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0,चम्पावत